हर्फ़े-आग़ाज़
(इस किताब के बारे में)

क़ारेईने किराम! एक साल की कड़ी मेहनत के बाद अल्लाह रब्बुल–इज़्ज़त के फ़ज़्ल व एहसानो–करम से आपके हाथों में वो किताब सौंपी जा रही है जिसे बेमिषाल, नायाब और बेशक़ीमती ख़ज़ाना कहना यक़ीनन दुरुस्त होगा।

किताब की इम्तियाज़ी ख़ासियतें :–

01. इस किताब में सिर्फ़ वे अहादीष़ दर्ज की गई हैं जो जामेअ़उस्सहीह बुख़ारी व जामेअ़उस्सहीह मुस्लिम दोनों में एक ही सहाबी से रिवायत की गई हैं।

02. किताब की तर्तीब सहीह मुस्लिम के अबवाब (अध्यायों) के मुताबिक़ है। सहीह मुस्लिम में बयान की गई हदीष़ सहीह बुख़ारी में किस चैप्टर (किताब) व किस अध्याय (बाब) में है, इसका ख़ुलासा हर हदीष़ के आख़िर में किया गया है।

03. इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि ये किताब, किसी दूसरी किताब की नक़ल–भर न होकर रह जाए। इसके लिये किताब में दर्ज की गई अहादीष़ के तर्जुमे व रावियों के नामों का सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम की असल किताबों से मिलान किया गया है, इसके लिये अ़रबी के माहिर आ़लिम मौलाना जमशेद आ़लम सलफ़ी की ख़िदमात बेहद सराहनीय रही है।

04. हमें ये बख़ूबी एहसास है कि ये किताब हिन्दी पाठकों के लिये तैयार की जा रही है, इसलिये इसकी ज़बान व लहजा सादा व आ़म–फ़हम रखा गया है।

05. जहाँ ज़रूरत महसूस हुई वहाँ हदीष़ पूरी होने के बाद फ़ुटनोट देकर हदीष़ का ख़ुलासा करने की कोशिश की गई है। लम्बे फ़ुटनोट को आसानी से समझाने के लिये बिन्दुवार (Qpjoux jt f) दिया गया है।

06. बयान की गई हदीष़ में अगर कोई बात क़ाबिले–ग़ौर है तो उसे **बोल्ड अक्षरों** में छापा गया है।

07. इस किताब की हिन्दी को उर्दू के मुवाफ़िक़ बनाने की भरपूर कोशिश की गई है इसके लिये उर्दू के कुछ ख़ास हर्फ़ों को अलग तरह से लिखा गया है मिषाल के तौर पर :– (ا) के लिये **अ**, (ع) के लिये **अ़**; (ث) के लिये **ष**, (س) के लिये **स**, (ش) के लिये **श**, (ص) के लिये **स़**; (ح) के लिये **ह़**, (ہ) के लिये **ह**, (خ) के लिये **ख़**, (غ) के लिये **ग़**, (ف) के लिये **फ़**, (ك) के लिये **क**, (ق) के लिये **क़** लिखा गया है। (ج) के लिये **ज** का इस्तेमाल किया गया है लेकिन ज़ाल (ذ) ज़े (ز) ज़ाद (ض) ज़ोय (ظ) के लिये मजबूरी में एक ही हुरूफ़ **ज़** का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन हर्फ़ों के लिये सहीह़ विकल्प हमें नज़र नहीं आया।

आपको यह बता देना मुनासिब होगा कि उर्दू ज़बान के कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं कि अगर उनकी जगह कोई दूसरा हुरूफ़ लिख दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे एक लफ़्ज़ उर्दू में पाँच तरह से लिखा जाता है; **असीर,** अलिफ़ (ا)–सीन (س) ये (ی) रे (ر) जिसका मतलब होता है **क़ैदी**। **अषीर,** अलिफ़ (ا) षे (ث) ये (ی)

किताबुल क़सामा

(क़सामा, लड़ाई झगड़े और क़िस़ास़ व दियत के मसाइल)

बाब 1 : क़सामा का बयान

1085. ह़दीष़े राफ़ेअ बिन ख़दीज व सहल बिन अबी ह़ष़्मा (रज़ि.) : बशीर बिन यूसार (रह.) जो कि अन्स़ार के आज़ादकर्दा गुलाम हैं, बयान करते हैं कि ह़ज़रात राफ़ेअ बिन ख़दीज और सहल बिन ह़ष़्मा (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह बिन सहल और मुह़य्यिस़ह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ख़ैबर गए और वहाँ पहुँचकर खजूरों के बाग़ में एक–दूसरे से जुदा हो गए। फिर अ़ब्दुल्लाह बिन सहल (रज़ि.) को किसी ने क़त्ल कर दिया तो अ़ब्दुर्रह़मान बिन सहल (रज़ि.) और ह़ुवैस़ह बिन मसऊ़द (रज़ि.) और मुह़य्यिस़ह बिन मसऊ़द (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुए और अपने साथी (के क़त्ल) के मुआ़मले पर गुफ़्तगू करने लगे। गुफ़्तगू की शुरूआ़त अ़ब्दुर्रह़मान (रज़ि.) ने जो उनमें सबसे कम उ़म्र थे। इस पर नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बड़ों को बड़ाई दो।' (ह़दीष़ के रावियों में से एक रावी कहते हैं कि इस फ़िक़्रे का मत़लब यह है कि जो बड़ा हो वो बात करे) चुनाँचे उन लोगों ने अपने साथी के मुआ़मले में बातचीत की तो नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम इसके लिये तैयार हो कि 50 क़समें खाकर अपने मक़्तूल या आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने साथी (की दियत) के मुस्तह़िक़ बन जाओ? उन्होंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह मुआ़मला ऐसा है जिसे हमने अपनी आँखों से नहीं देखा (तो हम क़सम कैसे खाएँ?) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तो फिर यहूदी 50 क़समें खाकर इस इल्ज़ाम से बरी हो जाएँगे। उन लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तो काफ़िर हैं (झूठी क़समें भी खा लेंगे उनका क्या ऐतबार?) चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) ने उनको अपनी त़रफ़ से दियत अदा कर दी।

सहल (रज़ि.) कहते हैं कि उन ऊँटों में से एक ऊँट को लेकर जब मैं बाड़े में गया तो उसने मुझे लात मारी थी। **(स़ह़ीह़ बुख़ारी किताबुल अदब बाब 89)**

नोट : क़सामा, क़सम से बना है। इससे मुराद वो क़सम है जो किसी इलाक़े या मोहल्ले के लोगों को जमा करके उस सूरत में ली जाती है जब कोई क़त्ल, इक़रार या गवाही के ज़रिये से ष़ाबित न हो सके और उन पर शक हो तो वो क़सम खाते हैं कि हमने क़त्ल नहीं किया या फिर मक़्तूल (मृतक) के वारिष़ किसी को क़ातिल ष़ाबित करने के लिये क़सम खाते हैं।

दियत का मतलब है मुआवज़ा; अगर कोई शख़्स़ किसी को क़त्ल कर दे और मक़्तूल के वारिष़ दियत लेने पर राज़ी हों तो क़ातिल को क़िसास (बदले) में क़त्ल नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख़्स़ किसी दूसरे को कोई चोट पहुँचाए तो लाज़िम यही होगा कि उससे क़िसास लिया जाए या दियत वसूली जाए।

इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि यही ह़दीष़ क़सामा के बाब की बुनियाद है और जो उ़लमा क़सामा के क़ायल हैं उन्होंने इसी से इस्तदलाल किया है। क़सामा के मामले में चन्द मसाइल उ़लमा के नज़दीक मुख़्तलिफ़ पाए जाते हैं,

किताबुल अक़्ज़िया

मुक़द्दमात का फ़ैसला करने के अहकाम व मसाइल

बाब 1 : क़सम मुद्दअ अलैहि (प्रतिवादी) पर लाज़िम आती है

1113. हदीषे इब्ने अब्बास (रज़ि.) : दो औरतें एक घर या एक कमरे में मौज़े सिया करती थीं। (एक दिन) उनमें से एक औरत कमरे से इस हालत में बाहर निकली कि मौज़े सीने का सूआ उसके हाथ में गड़ा हुआ था। उसने दा'वा किया कि यह सूआ उस दूसरी औरत ने मेरे हाथ में चुभाया है। यह मुआमला हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने पेश हुआ तो उन्होंने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि महज़ लोगों के दा'वा करने की बिना पर अगर उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाता तो बहुत से लोगों के जान व माल बर्बाद हो जाते। फिर इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने लोगों से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, उस औरत को अल्लाह याद दिलाओ और उसे यह आयते करीमा पढ़कर सुनाओ, **'जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच देते हैं उनके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह क़ियामत के रोज़ न उनसे बात करेगा और न ही उनकी तरफ़ देखेगा, और न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये तो सख़्त दर्दनाक सज़ा है।'** (सूरह आले इमरान : 77) चुनाँचे लोगों ने उसे नसीहत की और उसने अपने जुर्म को क़ुबूल कर लिया (कि वाक़ई सूआ उसी ने चुभोया है)। फिर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि क़सम मुद्दअ अलैहि पर लाज़िम आती है।

(सहीह बुख़ारी किताबुत् तफ़्सीर सूरतुल आले इमरान बाब 3)

नोट : दूसरी रिवायत में है, 'अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अन्कर' यअनी षुबूत या गवाह पेश करने का भार मुद्दई (वादी) पर है और अगर वो षुबूत या गवाह पेश न कर सके तो मुद्दअ अलैहि (प्रतिवादी) से क़सम ली जाएगी। अगर वो क़सम खा लेगा तो फ़ैसला उसके हक़ में होगा और क़सम खाने से इन्कार कर देगा तो दा'वा षाबित हो जाएगा। ये हदीष मुआमलात के बाब में एक बहुत बड़ी उसूली हैषियत रखती है। इस्लामी शरीअत में तमाम मुक़द्दमों के फ़ैसले इसी के मुताबिक तय पाए जाते हैं। अब इस बात पर फ़ुक़हा के बीच इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि मुद्दा अलैह (प्रतिवादी) को क़सम किस सूरत में खिलाई जाएगी।

इमाम शाफ़ई (रह.) और जुम्हूर उलमा का मसलक यह है कि हर दा'वे की सूरत में मुद्दा अलैह को क़सम खिलाई जाएगी जबकि मुद्दई दा'वा पेश करने के बाद गवाह पेश न कर सके, चाहे मुद्दा अलैह का मुद्दई के साथ कोई वास्ता या ता'ल्लुक़ हो या न हो। लेकिन इमाम मालिक (रह.) और मदीना के फ़ुक़हा का क़ौल ये है कि सिर्फ़ उस सूरत में मुद्दा अलैह को क़सम खिलाई जाएगी, जब उसका और मुद्दई का उस मुआमले या कारोबार में एक–दूसरे के साथ रब्त (सम्पर्क), ता'ल्लुक़ या मेल–जोल रहा हो; वर्ना तो हर कमीना शख़्स उठकर किसी शरीफ़ आदमी पर दा'वा करके उसे क़सम खाने पर मजबूर करके परेशान करता रहेगा। लेकिन इस राय की सनद न तो सुन्नते–रसूल (ﷺ) से मिलती है और न ही उलमा के इजमाअ (सर्वसम्मति) से। (अज़ नववी रह.)

इस हदीष से एक अहम नुक्ते (बिन्दु) का पता चलता है, वह यह है कि जिस पर इल्ज़ाम है उसे अल्लाह के ख़ौफ़

किताबुल इमारह

हुकूमत करने के आदाब व मसाइल

बाब 1 : ख़िलाफ़त व हुकूमत में अवाम क़ुरैश के ताबेअ हैं

1193. हदीष अबू हुरैरह (रज़ि.) : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सरदारी और हुकूमत के मामले में आम लोग क़ुरैश के पैरोकार हैं। मुसलमान अवाम मुसलमान क़ुरैश के ताबेअ हैं और काफ़िर अवाम काफ़िर क़ुरैशियों के ताबेअ हैं। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 1)**

नोट : इस हदीष से मुराद यह है कि ख़िलाफ़त के मुआमले में आम लोग क़ुरैश के ताबेअ (अर्न्तगत) रहेंगे क्योंकि क़ुरैश को दूसरों पर फ़ज़ीलत व बरतरी हासिल है। कुछ उलमा का ख़याल है कि ये ख़बर हुक्म के दर्जे में है, यानी ऐसा होना चाहिये कि लोग ख़िलाफ़त व इमारत (अध्यक्षता) के मुआमले में क़ुरैश की पैरवी करें। ग़ौरतलब है, यहाँ क़ुरैश से मुराद (तात्पर्य) अरब के उस क़बीले से है जिस क़बीले से आप (ﷺ) का तअल्लुक़ था। हमारे देश में बहुत से लोग ख़ुद को क़बील–ए–क़ुरैश से मुन्सलिक (जुड़ा हुआ) बताते हैं। अगर वे वाक़ई अल्लाह के रसूल (ﷺ) की नस्ल वाले क़ुरैश से सम्बंध रखते हैं तो उनका रुतबा अफ़ज़ल है। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने लायक़ है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन लोगों पर लअनत फ़र्माई है जो फ़ज़ीलत हासिल करने के इरादे से ऐसे क़बीले से ख़ुद का जुड़ाव ज़ाहिर करते हैं जिनसे उनका हक़ीक़त में कोई तअल्लुक़ नहीं हो।

1194. हदीष अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये मुआमला (या'नी ख़िलाफ़त) हमेशा क़ुरैश में रहेगा जब तक कि दुनिया में क़ुरैश में से दो आदमी भी बाक़ी होंगे। **(सहीह बुख़ारी किताबुल मनाक़िब बाब 2)**

नोट : मुराद ये है कि ख़िलाफ़त के असल हक़दार क़ुरैश ही हैं, जब तक दुनिया में क़ुरैशी मौजूद हैं। याद रहे यहाँ क़ुरैशियों से मुराद वो क़ुरैशी क़बीला है जिससे ख़ुद अल्लाह के रसूल (ﷺ) का तअल्लुक़ था। उसके अलावा किसी और क़बीले के लिये यह हुक्म नहीं है, भले ही वो क़ुरैशी होने का दावा करे। इमाम नववी (रह.) ने लिखा है कि इस हदीष से षाबित होता है कि ख़िलाफ़त क़ुरैश के साथ ख़ास है और किसी दूसरे को ख़लीफ़ा बनाना जाइज़ नहीं और इस बात पर सहाब–ए–किराम (रिज़.) और बाद के ज़मानों में उम्मत का इजमाअ हो चुका है। जिन लोगों ने इस फ़ैसले की मुख़ालफ़त की है वो बिदअती हैं और इजमाअ–ए–उम्मत (उम्मत की सर्वसम्मति) से उनके ख़िलाफ़ हुज्जत क़ायम है। इस हदीष में आप (ﷺ) का ये फ़र्माना कि ये सूरते–हाल क़ियामत तक इसी तरह क़ायम रहेगी, जब तक कि दुनिया में इन्सान भी मौजूद रहेंगे। आप (ﷺ) का ये इर्शाद हर दौर में सच्चा षाबित होता रहा है क्योंकि मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) दौर में ग़ैर–क़ुरैश ने हुकूमत पर क़ब्ज़ा किया और लोगों को दबाकर हुकूमत की, लेकिन सब इस हक़ीक़त का ए'तिराफ़ (स्वीकारोक्ति) करते रहे कि ख़िलाफ़त के वास्तविक हक़दार क़ुरैश ही हैं। गोया इस हदीष का मफ़हूम ये है कि ख़लीफ़ा (अमीरुल मोमिनीन)